17.28 hrs.

RESOLUTION RE: FREE MOVEMENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY

श्री तन सिंह (बाड़मेर) : सभापति महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately"

हमारे देश में खाद्य स्थिति इतनी निराशाजनक हो गई है कि जब तक उसका कोई क्रान्तिकारी समाधान न मिल जाये तब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है । हम इस बात को छिपाने का कितना ही यत्न करें, सरकार चाहे इस बात का कितना ही आश्वासन दे कि आने वाली फसल से हमारी स्थिति में कुछ परिवर्तन हो जायेगा, लेकिन जब तक सरकार की गलत नीतियों के कारण जो वर्तमान स्थिति वितरण की बनी हुई है और अन्न के भावों में जो वृद्धि होती जा रही है उस को रोकने का उपाय न करें वर्तमान परिस्थिति में कोई अन्तर नहीं आ सकता है ।

अट्ठारह वर्षों से, जब से इस देश में स्वतन्त्रता आई है, हमारी सरकार ने अन्न के विषय में चर्चा तो अवश्य की है किन्तु जितनी आशा की है उतनी गम्भीरता से इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया है । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने सन् 1948 में देश के नाम एक सन्देश में आशा व्यक्त की थी कि सन 1950 के जून तक हम अन्न के विषय में स्वावलम्बी हो जायेंगे । मगर हमारी सीमा रेखा प्रति वर्ष बढ़ती गई । बढ़ते बढ़ते हमारे कृषि और खाद्य मंत्री यह बतलाने लगे हैं कि सन 1971 में हम स्वावलम्बी हो जायेंगे ।

अन्न का उत्पादन कम होने के मूल रूप में दो या तीन कारण बतलाये जाते हैं । पहली बात तो यह है कि हमारे यहां प्रति वृष्टि हो जाती है या अनावृष्टि हो जाती है । हम चाहे इसके बारे में कितने ही शब्द बोलें, लेकिन अति वृष्टि और अनावृष्टि की स्थिति हमारे देश में पहले भी थी, अब भी है और भविष्य में भी रहेगी । उस को रोकने का उपाय है वैज्ञानिक साधनों के द्वारा पानी का निकास और उसका ठीक प्रकार से नियोजित करना और तकनीकी क्षमताओं के द्वारा बरसात के पानी का नियंत्रित करना । यदि यह सम्भव नहीं है तो अनावृष्टि और अति वृष्टि किसी भी प्रकार के आश्वासन से और उपाय से टाली नहीं जा सकती । हम चाहे उस पर कितना ही दोषारोपण करें इस से समस्या हल होने वाली नहीं है । यदि हम इस को देखें तो पता चलेगा कि अब तक के अट्ठारह वर्षों में नियोजन पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर पाने की स्थिति नहीं आई है ।

दूसरी बाधा जो बतलाई जाती है वह है जन संख्या की बढ़ोतरी । इस में कोई सन्देह नहीं कि हमारे देश में जन संख्या में वृद्धि हुई है । पर हम इस बात को भी दरगुजर नहीं कर सकते कि जन संख्या में वृद्धि के साथ हम ने बहुत सी कृषि योग्य भूमि पर खेती करना शुरू किया है । जिस अनुपात में जन संख्या की वृद्धि हुई है उस से ज्यादा अनुपात में हम ने खेती योग्य भूमि उत्पन्न की है और उस पर काश्त करना शुरू किया है । असली बात तो यह है कि हमारी भूमि की जो अन्नोत्पादन की क्षमता है उस उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो रही है । यदि उस उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं की जायेगी तो अनन्त काल तक हमारे लिये यह समस्या बनी रहेगी । हम विदेशों से चाहे कितना ही अन्न मंगायें यह स्थायी रूप से अन्न की स्थिति को सुधारने में सहायक नहीं होगी । यदि सिंचाई, बीज और खाद ठीक प्रकार से दिये जायें तो उत्पादन बढ़ सकता है । बिना उत्पादन को बढ़ाये और परिवार नियोजन को बढ़ाये जनव्यक्ति पर रोक लगाने का कोई तुक नहीं है क्योंकि यदि लोगों का जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति

[श्री तन सिंह]

आय नहीं बढ़ेगी तो सीमित परिवार भी उतनी अधिक मात्रा में शिक्षा पर और दूसरे जीवन यापन के साधनों पर अधिक खर्च नहीं कर सकेगा। इसलिये सब से महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अन्नोत्पादन में वृद्धि की दिशा में प्रयत्न करें।

सब से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक ऐसी सत्ता है जिस को किसी का भय नहीं है। हमारे मंत्रिमंडल को यह भय रहता है कि उसे जनता के सामने पांच वर्ष के बाद जाना पड़ेगा, उसे यह भी भय रहता है कि अगर विरोधी पक्ष मजबूत हो गया तो उसे अपदस्थ भी कर सकता है, लेकिन हमारे देश में योजना आयोग एक ऐसी सत्ता है जिसको किसी का भी भय नहीं है। वह पिछले अट्ठारह वर्षों से इस देश का करोड़ों रुपया खर्च कर चुका है लेकिन उस ने अन्न के क्षेत्र की ओर कृषि के क्षेत्र की जो निपट उपेक्षा की है उस के बारे में उस के उत्तरदायित्व को निश्चित करने और उसे सजा देने के सम्बन्ध में हमारे पास कोई प्रबल शक्ति नहीं है, बल्कि हम यह देखते हैं कि योजना आयोग द्वारा निर्धारित नई नीतियों पर हमारी सरकार आज्ञाकारी सेवक की भांति काम करती है। परिणाम यह होता है कि हमारे योजना आयोग के सदस्य, भले ही वह कितने पढ़े लिखे हों, उन का जो ज्ञान पिछले अट्ठारह वर्षों में प्रकट होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और हमारे इस देश में लोगों को जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। इस से यह सिद्ध होता है कि उन के पास ज्ञान भले ही हो लेकिन उन में व्यावहारिक दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है।

इस लिये इस बात की जांच की जानी चाहिये कि अन्न के मामले में सब से ज्यादा जिम्मेदारी किस की थी और किस ने उस को पूरा नहीं किया। यदि हमारे उत्पादन के आंकड़े पूरे नहीं हो रहे है तो इस का मतलब यह है कि हम ने उत्पादन के आंकड़े तैयार करने में ज्यादातर कल्पना से काम लिया है और योजना को कार्यान्वित करने की जो जिम्मेदारी आयोजकों पर थी उसे उन्हों ने निभाया नहीं, चाहे वह केन्द्रीय सरकार के हों या राज्य सरकार के हों। यहां तक मैं तो निवेदन करूंगा कि इस देश में अन्नोत्पादन के दृष्टिकोण से चाहे योजना आयोग ने कछ प्रयत्न किया हो तथापि कृषि विभाग को सहायता देने की जो प्रणाली है वह अच्छी नहीं है। आज तक सरकार गलत नीतियां चलाती रही हैं ; आज गांवों और शहरों का भेद जो बढ़ता जा रहा है वह इतने व्यापक क्षेत्र में हो गया है कि गांव का कोई भी किसान गांव में रहना पसन्द नहीं करता। वह वहां तभी रहता है जब उस के सामने जीवन यापन का कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता। पढ़ लिख कर हर एक आदमी की कोशिश यही रहती है कि वह किसी दफ्तर में एल०डी०सी० बन जाये। आज वह कृषि के अन्दर स्नातकोत्तर शिक्षा लेता है तो वह भी इस के पीछे लगा देखा जाता है कि कोई सरकारी नौकरी हासिल कर ले बजाय इस के कि वह जा कर खेती करे। इस का कारण यह है कि जो हमारा कृषक समाज है उस के साथ आज पक्षपात हो रहा है। जब इस देश में बहुमुखी तरक्की हो रही है तब उस के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सब से बड़ी बात यह है कि योजना आयोग की नीतिरों के फलस्वरूप कृषि के ऊपर जो अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है उस के कारण एक कृषक की आमदनी 300 रु० मासिक से अधिक बढ़ने की सम्भावना भविष्य में कभी नहीं रहेगी। इस का अभिप्राय यह है . . .

सभापति महोदय : जो रेजोल्यूशन का मूल प्रश्न है उस पर भी तो आप कुछ कहिये।

श्री तन सिंह : मेरा ख्याल है कि मेरे पास 20 या 25 मिनट हैं। मैं अब उस पर ही आ रहा हूं। मैं पहले मोनोपोली प्रोक्योरमेन्ट की भूमिका में बतलाऊंगा कि आज किसान की

हालत क्या है। ग्राप उस के ऊपर ग्रधिकाधिक रुपये की सीमा निर्धारित करने जा रहे हैं। उस में ग्राप उस की ग्रामदनी का रुपया उस से मोनोपोली प्रोक्योरमेंट के रूप में ले लेंगे। उस के ग्राथिक दृष्टिकोण को सामने नहीं रक्खेंगे।

सभापति महोदय : ग्राप के पन्द्रह मिनट ग्रब बाकी हैं, ग्राप बोलिये।

श्री तन सिंह : ग्रभी हम ने जय किसान ग्रौर जय जवान का नारा लगाया है। इस लिये यदि हम वास्तविक रूप में कुछ देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रनिवार्य रूप में वसूली का जो नियम हम ने बनाया है वह मूल रूप से कृषि उत्पादन के दृष्टिकोण से उस के लिये घातक है। इस लिये कि ग्रब बड़ी मुश्किल से ग्रन्न के दाम बढ़े हैं। राजस्थान में जब बाजार में 66 रु० क्विन्टल बाजरा बिकता है तो हमारी सरकार, इस साल तो वह नहीं ले रही है लेकिन लेने का उस का लक्ष्य है, केवल 44 रु० क्विन्टल देना चाहती है। ग्रर्थात् बाजरा से उसे जो रुपया मिलने वाला था उस का 2/3 मात्र ही सरकार देती है। 1/3 सरकार ग्रपने पास रखती है। यदि सरकार यह समझती है कि वितरण के कारण ही यह परेशानी पैदा होती है ग्रौर इसलिये जितना भी धान है वह ग्रपने पास में ले ले तो मैं निवेदन करूंगा कि एक व्यापारी ग्रगर कहीं गलती करता है तो उस के लिए हमारे पास में दंड विधान है एक व्यापारी यदि ऊंचे भाव में ग्रन्न को बेचता है तो हम उसे जेल में डाल सकते हैं। यदि वह ग्रन्न का स्टाक कर के रखे ग्रौर बाजार में समान को न लाये तो हम उस को डी०ग्राई० ग्रार० में गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन सरकार ग्रगर मोनोपोली प्रोक्योरमेंट करके ग्रनाज इकट्ठा करे ग्रौर दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में ग्रसफल रहे तो सिवाय लोकसभा में उसकी ग्रालोचना करने के ग्रौर कोई उपाय नहीं है। ग्रौर इसलिए यदि सरकार व्यापारी की जगह ग्राना चाहती है तो उसके लिए एकाधिकार रखना यह सर्वथा किसान के साथ ग्रन्याय है ग्रौर यदि एकाधिकार रखना ही चाहती है तो व्यापारी की भांति सरकार को खुले हाथों ग्राना चाहिए ग्रौर जहां कहीं उस की गलती हो उसमें जिस किसी का भी उत्तर दायित्व है ग्रन्न की सप्लाई न करने की उसको सजा देने ग्रौर उस पर जांच करने का भी पूरा ग्रख्त्यार सरकार को स्वीकार करना चाहिए। इजके ग्रलावा श्रीमन् जी, यदि उत्पादन बढ़ सकता है ग्रौर खेती एक धन्धे के रूप में गम्भीरता से ली जा सकती है तो वह तभी हो सकता है जब दूसरे धन्धों के मुकाबले में कृषि में तुलनात्मक लाभ मिलने की स्थिति पैदा होगी। केवल उस समय ही हमारे यहां ग्रन्न की समस्या हल हो सकती है ग्रौर ग्रन्न के भाव उसी दृष्टिकोण से मुकर्रर होने चाहिए। सरकार यह समझती है कि ग्रन्न की समस्या में केवल वितरण का मामला है ग्रौर उसी को ग्रपने पास में रखना चाहती है, उसी के सिलसिले में कोई उपाय करना चाहती है। ग्रब स्थिति यह है श्रीमन्, कि कीमतों के बढ़ने का बहुत बड़ा ग्रौर महत्वपूर्ण कारण हैं। यदि तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाय तो यह एक क्षेत्र में ग्रौर एक राज्य में ग्रन्न का भाव एक है जब कि दूसरे राज्य में उसी ग्रन्न का भाव कहीं कहीं उससे दूगना ग्रौर ढाई गुना भी है। एक बड़ा देश होने के कई लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसी एक जगह ग्रकाल पड़ जाय ग्रौर दूसरी जगह ग्रन्न काफी हो तो वहां से उस कमी वाले इलाके की ग्रोर ग्रनाज ग्रा सकता है। लेकिन इस देश में हमारी सरकार ने इतने छोटे छोटे देश बना दिये हैं कि एक जगह में पंजाब में पैदा किया हुग्रा ग्रन्न राजस्थान में नहीं जा सकता, राजस्थान का गुजरात में नहीं जा सकता, मध्य प्रदेश में नहीं जा सकता यह कृत्रिम सीमा जो सरकार ने बनायी है इसके विषय में बहुत कुछ ग्रालोचनायें हो चुकी हैं ग्रौर यह सर्वविदित बात है कि ग्रब इस प्रकार की सीमाग्रों को रखने का कोई

[श्री तन सिंह]

प्रयोजन भी नहीं है । तथापि सरकार केवल अपनी राजनैतिक प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए और क्योंकि एक गलत नीती पर यह आचरण करने लगी है और इसलिए उसको बदलना न चाहती है, इसके सिवाय और कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार की कृत्रिम सीमा रेखा को आज भी बनाये रखे । अभी हमारे यहां का कुल उत्पादन 9 और 10 मिलयिन टन से कभी बढ़ा नहीं है और यह उत्पादन कोई क्रांतिकारी रूप में अभी एकाध साल में इतना ज्यादा परिर्वित होने वाला नहीं भी है । हम प्रोक्योरमेंट के द्वारा अब तो दो मिलियन टन या 4 मिलियिन टन से ज्यादा प्रोक्योर कर नहीं सके हैं । इसके सिवाय इस वर्ष तो हमने दस मिलियन टन तो विदेशों से अन्न मंगवाया है । अब जितना हम साल भर में उत्पादन कर सकते हैं उतने का उतना विदेशों से मंगवा रहे हैं । जब अन्न की यह स्थिति है तो कोई कारण नहीं कि सरकार इस प्रकार कृत्रिम सीमा रेखा को बनाये रखे । इसका परिणाम जो हो रहा है केरल और बंगाल में, वह सब आपके सामने विदित है । एक जगह पर अनाज सड़ रहा है, उसको चूहे खा रहें हों और उसका भाव गिरता जा रहा हो, और दूसरी जगह लोग अन्न मांगने के लिए जाते हैं तो उनको गोली और लाठी मिलती है । यदि कोई कारण होता, प्राकृतिक कारण होता तो लोग बर्दाश्त कर लेते लेकिन यह मनुष्य के द्वारा बनाये हुए कारण, सरकार के द्वारा बनाये हुए कारण हैं। सरकार यह कह सकती है कि जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां अपनाते हैं, वह अन्न का कहीं संकट नहीं है, केवल राज-नैतिक पार्टियां हैं जो उस स्थिति से लाभ उठाना चाहती हैं । यह बात उन लोगों के लिए सही भी हो सकती है, लेकिन यदि सरकार स्वयं यह मानती है कि अन्न कि स्थिति स्वयं इतनी जटिल नहीं है तो फिर इन कृत्रिम सीमा रेखाओं को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी । अभी पिछले जयपुर के कांग्रेस सैशन के अन्द हमने सुना है कि इस विषय को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ के बरिष्ठ लोगों के बीच में खूब गहरा मतभेद रहा और कांग्रेस का खुद इतना साहस नहीं था कि इस प्रस्ताव को वोट के ऊपर रख ले । लेकिन यह बात अब सर्व-विदित हो चुकी है कि यदि इस कृत्रिम सीमा रेखा को नही तोड़ी गई तो स्थिति और भी डांवाडोल हो सकती है । इसके विरोध में कहने के लिए केवल एक कारण बताया जाता है और वह यह है कि क्योंकि हमने एक निर्णय कर लिया है इसलिए उसके प्रोक्योरमेंट में, अन्न की वसूली में खतरा पैदा हो जाता है, और दूसरे क्योंकि मझधार में घोड़े को बदलना ठीक नहीं होता इन दो आर्गूमेंट्स के सिवाय तीसरा कोई आर्गूमेंट सरकार की ओर से आता हुआ दिखाई नहीं देता ।

जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है, मैं मानता हूं कि यदि एक आदमी किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे पूरा हक है कि उसका कुछ न कुछ जितनी कम से कम उसकी मजदूरी है, उतना तो उसको मिलना ही चाहिए और मजदूरी के ऊपर उसका सामान्य लाभांश भी मिलना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होगा तो उद्योग के क्षेत्र में वह उद्योग पनप नहीं सकता है । कृषि भी एक तरहका उद्याग है और यदि उसको अन्दर सामान्य लाभांश नहीं मिलता यदि उसकी बाजिब कीमत नहीं मिलती तो नतीजा यह होगा कि वह अन्न उत्पादन के बजाय ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में लग जायगा जिनसे कि उसे ज्यादा फायदा मिल कसता है और हमारी इन गलत नीतियों के परिणाम-स्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी । क्योंकि आज इस साल सरकार लेवी वसूल कर रही है । अगले साल आप विश्वास करें या न कर, मैं तो यह मानता हूं कि अधिकांश किसान लोग अन्न के उत्पादन को छोड़ कर ऐसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, जिसकी को लेवी नहीं ली जा रही है, जो प्रोक्योरमेंट द्वारा वसूल नहीं की जा रही है या इस प्रकार के जिन्स को पैदा करेंगे जिनसे कि बाजार में ज्यादा पैसा प्राप्त

कर सकते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि किसान को हम अन्न उत्पादन करने के लिए विवश करेंगे तो भी उस का बहुत कुछ प्रभाव हमारे उत्पादन पर पड़ेगा। समस्या केवल प्रशासन की नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक भी है। किसान को यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सुविधा नहीं मिलेगा और उसे इस बात का विश्वास नहीं दिलाया जायगा कि वह जो कुछ भी मेहनत और मजदूरी कर रहा है उस मजदूरी पर उसको पर्याप्त लाभ मिलेगा तब तक वह उस अन्न को उत्पादन करने से अपने आपको कासिर रखेगा।

ऐसी अवस्था में मैं तो यह समझता हूं कि श्रीमान्, कि अन्न की वास्तविक कमी नहीं है। यह कमी हमारी सरकार की गलत नीतियों के कारण बनी है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष के आंकड़ों को देखें तो हमारे अन्नोत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। लेकिन उसको यह कहा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए वह कम है। जो कमी है वह केवल कृत्रिम है।

आज भी जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में अन्न का भाव है उसका मैं बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा। पंजाब में गेहूं 52 रु० प्रति क्विटंल है जब कि दक्षिण में 160 रुपये और गुजरात में 150 रुपये तथा मध्य प्रदेश में 110 रुपये और 100 रुपये तक है। यह इतना जो अन्तर है भावों में उस अन्तर का एकमात्र कारण है हमारी सरकार की गलत नीति, उसके द्वारा बनाया हुआ मोनोपली प्रोक्योरमेंट और जोनल सिस्टम। इसके विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है और और अधिक नहीं कहना चाहता। मैं यह समझता हूं कि सरकार स्वयं इस बात को अच्छी तरह से मानने लगी है कि यह सब इन गलत नीतियों के परिणाम हैं। अब तो मैं इस प्रस्ताव को केवल इस दृष्टिकोण से सरकार के सामने रख रहा हूं कि वह इस पर गहराई से इस दृष्टिकोण से विचार करें कि देश की अन्न की समस्या राजनीति से कहीं अधिक ऊपर है और क्योंकि उन्होंने कोई निर्णय ले लिया है, कोई निश्चय कर लिया है, उसको बदलें कैसे, इस प्रतिष्ठा के इस प्रश्न को लेकर खड़े हो गए तो वह इस देश का लाभ नहीं कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को रखता हूं।

Mr. Chairman: Motion moved:

> "This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement and all zonal and other barriers to the free movement of foodgrains throughout the country be abolished immediately."

There is one amendment by Shri Limaye. He is not present here.

Shri Warior (Trichur): Sir, you know the reason why he is not present here now. As this Resolution is going to be discussed during the next day, could you not keep that amendment in abeyance so that he can move it the next day?

Mr. Chairman: I am sorry, I cannot do anything about it. The time allotted is two hours out of which the mover has taken half an hour. Hon. Members should be brief.

Shri Maniyangadan (Kottayam): Mr. Chairman, the mover of the Resolution started by criticising the Government for not taking steps for increasing production of foodgrains. He ended his speech by saying that there is no scarcity in the country and on the other hand, there is increase in production. So, there is this contradiction in his speech. I am not clear as to what he wants by this Resolution. He speaks of removal of monopoly procurement and removal of zonal restrictions.

As regards monopoly procurement, I do not think the Union Government has adopted that policy. They have

[Shri Maniyangadan]

not imposed the system of monopoly procurement in any part of the country. It is for the States to adopt whichever policy they like, to suit the conditions that prevail in each State. I am told that in Bengal there is monopoly procurement.

I agree that increase in production is a necessity and all steps should be taken in that direction. But when we criticise the Government we have to look into the limitations under which the Government was functioning during the last Plan periods. There were two attacks, one from China and another from Pakistan. There was the shortage of foreign exchange and foreign aid was not forthcoming to the extent we expected. All these have necessarily restricted the activities of the Government in the matter of food as well as other articles. Added to all these, there was the unusual drought this year and last year. It has considerably reduced the production of foodgrains. So, I am not prepared to blame the government for the situation in which they are placed, because it is due to circumstances beyond their control. We have to see what has to be done in these circumstances.

Admittedly, there is shortage of foodgrains. So, it is the duty of the Government to see that consumption by people is restricted to a certain extent and the available commodity is distributed on an equitable basis, at least to the vulnerable sections of the people, at reasonable prices. That can be done only by the introduction of rationing. I hope the hon. Member the mover of the Resolution, will not deny this.

As I said earlier, due to factors beyond the control of the Government, there is shortage of foodgrains. What is to be done?

One method is to import as much quantity as possible and make up for the deficiency. We know that even that is not possible due to so many factors. There again there is the shortage of grains; there is the difficulty of availability from outside. Due to this we are not in a position to import as much as we need and the Government is taking all steps possible to import as much as they could get; but even then there is the shortage. So there is the necessity for restrictions and rationing and controls in the present circumstances.

Regarding the zonal restrictions, I am also not for zonal restrictions; but I would submit that if there is surplus or if there is the necessary quantity of foodgrains, there is no question of zonal restrictions. On the other hand, if there is monopoly procurement, there is no question of zonal restrictions. The possession of foodgrains which ought to go to Government godowns will be an offence. So, there is no question of that.

In the present circumstances we are now facing what I submit is that certain restriction on movement has to be placed so that the vulnerable section is not exploited by people of areas where there is more purchasing capacity. Also, the pattern of use of foodgrains must be taken into consideration. For example, there are certain areas where rice is used and there are certain areas where wheat is preferred. So, such areas should be converted into zones and restrictions on movement from one such zone to another such zone should be imposed. Also, procurement or levy of the surplus must also be adopted by Government.

Now, the policy adopted by Government is to introduce statutory rationing in cities where there is no production but there is purchasing capacity. So cordoning off those cities and towns

like that and also confining the surplus that is left after procuring to that zone and free movement is allowed in that area, there will not be much difficulty and the objective is achieved. I can specifically speak about the South Zone which is now abolished. I would submit that it should be imposed and the restrictions on the various States in the South Zone should be removed. If that could be done, that area where people prefer rice could utilise the surplus. In Kerala, for example, the marketable surplus is said to be 2 lakh tonnes or so. If that is also procured, not much good is going to happen. So, I submit that from a surplus State there should be a levy and a reasonable restriction should be put on movement from the wheat zone to the rice zone and from the rice zone to the wheat zone. If this system is adopted, there will not be much difficulty.

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : सभापति महोदय, विचाराधीन प्रस्ताव के प्रस्तावक अपना तर्क उपस्थित करते हुए किसी मौलिक नीति, आर्थिक या राजनीतिक विचारधारा या कार्यक्रम का सुझाव देने के बदले अन्न के उत्पादन में कमी होने के सम्बन्ध में ही बल देते रहे हैं। उन के प्रस्ताव के पहले ही भाग में यह है :

> "This House is of opinion that the system of compulsory monopoly procurement."

इस शब्दावली और प्रस्ताव के इस हिस्से को ही लेकर हम चलें तो यह मालूम होगा जहां उनका सुझाव है कि गल्ला सरकार द्वारा प्राप्त करने की प्रथा को या कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाए वहां उस से यह ध्वनि निकलती है कि ऐसी सरकार का जो इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है, जनता के प्रति जिम्मेदार है, गल्ला उत्पादन करने वाले के प्रति जिम्मेदार है, मजदूरों और किसानों तथा अन्य लोगों के प्रति जिम्मेदार है उस सरकार का एकाधिपत्य या मानोपली हट जाय। उसके आगे काम कैसे हो यह उन्होंने नहीं बतलाया। यदि यह हटा ही दिया जाय यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय, जिस की आशा नहीं है तो उसका मतलब यह होगा कि देश के जो बड़े रोजगारी ह व्यवसायी हैं, छोटे रोजगारी नहीं, जो गल्ले का रोजगार करते हैं और गल्ला कभी कभी दाब कर बैठ जाते हैं भाव तेज करने के लिए तो उनका आधिपत्य होगा गल्ला खरीदने के लिए देश के किसी हिस्से से गल्ला खरीदन के लिए, देश के उन भागों में जहां पर गल्ला कुछ अधिक होता है। यह शायद उन को मालूम न हो, यदि मालूम भी होगा तो भूल गये होंगे कि उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे प्रदेशों से भी गल्ला कभी कभी मंगाना पड़ता है, दूसरे प्रदेशों को देते भी हैं, कम से कम चीनी तो सारे भारत में उत्तर प्रदेश से पहुंचायी जाती है। उस प्रदेश में ऐसा एक समय आय था—पहली योजना के समय—जब गेहूं का भाव 7 रुपये और 8 रुपये मन तक गिर गया था। अगर उस समय सरकार आगे न आई होती, तो जिन किसानों का नाम ले कर माननीय सदस्य यह चर्चा कर रहे हैं, वे बर्बाद हो गए होते। उस समय सरकार ने ठीक कदम उठाया और कुछ महंगे भाव पर गल्ला खरीदना शुरू किया। मोनोपली प्रोक्युरमेंट का मतलब यह नहीं है कि हम केवल मन्दे भाव पर गल्ला खरीदें। उसका मतलब यह है कि जहां अन्न बहुत मन्दा हो, वहां पर किसानों को मदद देने के लिए, उन के ऊंचे भाव दिलाने के लिए, ऐसे भाव पर गल्ला खरीदा जाये, जिस से उन को राहत मिले और उनको आर्थिक लाभ हो।

सरकार देश की केवल सब से बड़ी संस्था हीं नहीं है, सबसे बड़ा संगठन हीं नहीं है, वह राष्ट्र की प्रतिनिधि है, राष्ट्र का शासन चलाने वाली और लोगों को रोटी देने के लिए जिम्मेदार संस्था है। उस के आधिपत्य को समाप्त

[श्री विश्वनाथ राय]

करने का मतलब कुछ लोगों के हाथों में 45 करोड़ लोगों का भाग्य सौंप देना है ।

Mr. Chairman: The hon. Member may continue his speech on the next day when the Private Members' Resolutions will be taken up. The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Monday.

18·02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March, 14 1966/*Phalguna* 23, 1887 (*Saka*).

GMGIPND—LS II—2760(Ai) LS—31-5-66—970.